भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1555
(दिनांक 12.02.2026 को उत्तर के लिए)

आरटीआई आवेदनों की अस्वीकृति दर

1555. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:
क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पाँच वर्षों के दौरान प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा प्राप्त आरटीआई आवेदनों की संख्या कितनी है;
(ख) इस अवधि के दौरान प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा खारिज किए गए आरटीआई आवेदनों की संख्या और प्रतिशत कितना है;
(ग) आरटीआई आवेदनों के ऐसे खारिज किए जाने के लिए मंत्रालय/विभाग-वार सबसे अधिक क्या कारण दिए जाते हैं; और
(घ) आरटीआई आवेदनों के खारिज होने की दर को कम करने और प्रशासन में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ग): भारत सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के संबंध में प्राप्त आरटीआई आवेदनों, अस्वीकृत आवेदनों (अनुभाग-वार) और ऐसे अस्वीकृत आवेदनों के प्रतिशत के संबंध में डाटा, केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) की संबंधित वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट के संलग्नक-1 में उपलब्ध है जिसे https://cic.gov.in/circular-reports-conventions पर देखा जा सकता है। सूचना हेतु आवेदनों को आरटीआई अधिनियम, 2005 की विभिन्न धाराओं में निर्धारित कारणों के आधार पर अस्वीकार किया जा सकता है। आरटीआई आवेदनों की अस्वीकृति दर का प्रतिशत, वर्ष 2013-14 में 7.21% से घटकर वर्ष 2024-25 में 3.26% हो गया है।

(घ): केन्द्रीय सूचना आयोग, आरटीआई अधिनियम ,2005 तथा इसके प्रावधानों के संबंध में जागरुकता बढ़ाने के लिए वार्षिक सम्मेलनों का आयोजन करता है। इसके अलावा, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) भी आरटीआई पर एक वार्षिक कार्यक्रम नामतः- *"सूचना के अधिकार अधिनियम का प्रसार" (आरटीआई अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार लाना)* चलाता है, जिसके तहत, राज्य सूचना आयोगों (एसआईसी) को आरटीआई सप्ताह मनाने और प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई) को आरटीआई अधिनियम पर कार्यशालाओं का आयोजन करने, गाइड बुक और प्रशिक्षण सामग्री के प्रकाशन करने, जागरुकता बढ़ाने, लोक सूचना अधिकारियों (पीआईओ) और अपीलीय प्राधिकारियों के प्रशिक्षण, आरटीआई हेल्पलाइन की स्थापना करने, वैज्ञानिक रूप से रिकॉर्ड प्रबंधन और स्वतः प्रकटीकरण के प्रसार करने आदि हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इस उद्देश्य के लिए, 2018-19 से 2024-25 तक गत 7 वर्षों के दौरान, एसआईसी और राज्य एटीआई को 20.23 करोड़ रु. की राशि जारी की गई हैं।
